पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

मिशन शक्ति बुलेटिन-V

"मिशन शक्ति 5.0- "सतर्क, सजग, सशक्त नारी; सुरक्षित परिवार, मजबूत समाज!"

थाना मानकनगर पुलिस टीम द्वारा बाराबिरवा चौराहा पर महिलाओं ,बालिकाओं व छोटे बच्चों को पम्पलेट वितरण करके महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति सजग बनाने और उन्हें महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों तथा साइबर क्राइम से बचाव की दी गई जानकारी।

दिनांक- 27.04.2026

महिला सशक्तिकरण उत्तर प्रदेश सरकार की एक प्रमुख पहल, "मिशन शक्ति महिलाओं के लिए एक सुरक्षित आश्रय और सहायता प्रणाली के रूप में कार्य करता है जो घरेलू हिंसा, दहेज उत्पीड़न, यौन शोषण, या किसी भी प्रकार की हिंसा का सामना कर रही हैं।

उत्तर प्रदेश सरकार के दृष्टिकोण और पुलिस महानिदेशक महोदय के निर्देशानुसार, पुलिस आयुक्त महोदय, कमिश्नरेट लखनऊ के मार्गदर्शन में 22 सितंबर 2025 से 'मिशन शक्ति 5.0' का विशेष अभियान प्रारंभ किया गया है। यह अभियान नारी सशक्तिकरण को एक नई दिशा और गति प्रदान कर रहा है।

लखनऊ पुलिस ने महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल करते हुए जनपद के सभी 54 थानों में विशेष 'मिशन शक्ति केन्द्र' स्थापित किए हैं। यह निर्णय श्री अमरेन्द्र कुमार सेंगर, पुलिस आयुक्त, लखनऊ के मार्गदर्शन में "मिशन शक्ति 5.0" के तहत लिया गया है

आयोजक/आयोजन स्थल-

- महिला आरक्षी पूजा मीणा, थाना मानकनगर, लखनऊ कमिश्नरेट
- मानकनगर क्षेत्रान्तर्गत बाराबिरवा चौराहा पर

प्रतिभाग-

- ✓ महिला आरक्षी पूजा मीणा, थाना मानकनगर, लखनऊ कमिश्नरेट
- ✓ मानकनगर क्षेत्रान्तर्गत बाराबिरवा चौराहा पर महिलाओं ,बालिकाओं व छोटे बच्चों को जागरूक किया गया।

कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरण-

मिशन शक्ति अभियान के अंतर्गत आज दिनांक 27.04.2026 को बाराबिरवा चौराहे पर महिलाओं ,बालिकाओं व छोटे बच्चों को मिशन शक्ति अभियान के सम्बन्ध में जागरूक करते हुए बच्चों/महिलाओं को महिलाओ की सुरक्षा, नारी स्वावलंबन, साइबर जागरूकता आदि के सम्बन्ध में जागरूक किया गया।

मिशन शक्ति के तहत विभिन्न हेल्प लाईन नम्बर 1090 विमेन पावर लाइन, 1098 चाइल्ड लाइन, 1076 मुख्यमंत्री हेल्पलाइन, 101 अग्निशमन सेवा, 102 गर्भवती महिलाओं एवं नवजात शिशुओं के लिए एंबुलेंस हेल्पलाइन 108 एंबुलेंस सेवा, 112 पुलिस आपातकालीन सेवा, 1930 साइबर हेल्पलाइन एवं up cop आदि के साथ महिलाओ को समर्पित सरकारी योजनाओ के बारे में जागरूक किया गया।

"मिशन शक्ति 5.0 हमारे समाज के लिए एक सुदृढ़ और प्रगतिशील भविष्य की नींव रखने का प्रतीक है। यह मिशन ऐसे समाज के निर्माण के संकल्प को दर्शाता है, जहाँ हर बच्चा, विशेष रूप से बच्चियाँ, सुरक्षित, शिक्षित और सशक्त होकर अपने सपनों का भविष्य गढ़ सकें। इसका उद्देश्य केवल सहायता प्रदान करना ही नहीं, बल्कि उनके सफर में एक मार्गदर्शक और सहयोगी की भूमिका निभाना है, ताकि वे हर चुनौती का सामना करते हुए आत्मनिर्भर बन सकें और देश की प्रगति में अपना अमूल्य योगदान दे सकें।"

उद्देश्य:

1. **जागरूकता का प्रसार:** महिलाओं और बच्चों को उनके अधिकारों, सुरक्षा और सशक्तिकरण से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर जागरूक करना। इसमें नारी स्वावलंबन, साइबर सुरक्षा और 'गुड टच-बैड टच' जैसे महत्वपूर्ण विषय शामिल हैं।
2. **मिशन शक्ति केंद्रों की भूमिका से परिचय कराना:** आम जनता, विशेष रूप से महिलाओं को मिशन शक्ति केंद्रों के कार्यों, उद्देश्यों और उपलब्ध सेवाओं (जैसे कानूनी सहायता, परामर्श, संरक्षण) की जानकारी देना ताकि वे आवश्यकता पड़ने पर इनका लाभ उठा सकें।
3. **हेल्पलाइन सेवाओं का प्रचार-प्रसार:** महिलाओं और बच्चों से संबंधित विभिन्न आपातकालीन और सहायता सेवाओं (जैसे 1090, 181, 112, 1098, 1930 आदि) के बारे में व्यापक पैमाने पर जानकारी पहुँचाना, ताकि संकट की स्थिति में तुरंत मदद ली जा सके।
4. **सुरक्षा और सशक्तिकरण को बढ़ावा देना:** एक ऐसे सुरक्षित और संवेदनशील वातावरण का निर्माण करना जहाँ महिलाएं और बच्चे बिना किसी भय के अपना विकास कर सकें और आत्मनिर्भर बन सकें।
5. **सामुदायिक सहभागिता:** एंटी-रोमियो टीम और मिशन शक्ति टीम के माध्यम से सीधे तौर पर समुदाय तक पहुँचकर, सुरक्षा और जागरूकता के प्रति सामूहिक जिम्मेदारी की भावना विकसित करना।

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

मिशन शक्ति बुलेटिन-III

**मिशन शक्ति 5.0 "साइबर सुरक्षा की जान, हेल्पलाइन नंबर की पहचान।
नारी सुरक्षा अब है प्राथमिकता, यही मिशन शक्ति की विशेषता।"**

थाना सरोजनीनगर टीम द्वारा महिला सुरक्षा एवं सशक्तिकरण के तहत गौरी क्षेत्र में भ्रमण कर जागरूकता कार्यक्रम के दौरान महिला सुरक्षा केंद्रों, मिशन शक्ति योजनाओं एवं साइबर अपराधों से बचाव के बारे में जानकारी के साथ ही पंपलेट वितरित कर आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित करके जागरूक किया गया।

दिनांक- 27.04.2026

मिशन शक्ति 5.0 के तहत लखनऊ कमिश्नरेट में **श्रीमान पुलिस आयुक्त श्री अमरेन्द्र कुमार सेंगर** के निर्देशन में जनपद लखनऊ में 54 थानों पर मिशन शक्ति केन्द्र की स्थापना की जा चुकी है। जिसमें 01 निरीक्षक,01 अतिरिक्त निरीक्षक,01 उपनिरीक्षक,01 महिला उपनिरीक्षक की नियुक्ति की जा चुकी है। थाने पर आने वाली महिलाओं की समस्त समस्याओं का त्वरित निस्तारण हेतु निर्देशित किया गया है।

मिशन शक्ति 5.0 उत्तर प्रदेश सरकार की एक अभूतपूर्व पहल है, जिसका उद्देश्य महिलाओं को सुरक्षा, शिक्षा, स्वावलंबन और सम्मान के साथ जीवन जीने के लिए प्रेरित और सक्षम बनाना है। यह केवल एक योजना नहीं, बल्कि महिला सशक्तिकरण के लिए एक समग्र अभियान है।

कार्यक्रम का उद्देश्य:

- महिलाओं के विरुद्ध अपराधों के बारे में जागरूकता फैलाना।
- महिलाओं की समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित करना।
- साइबर अपराधों के प्रति सजग करना।

आयोजक/आयोजन स्थल

- ✓ महिला मुख्य आरक्षी शारदा पाल, थाना सरोजनीनगर, लखनऊ कमिश्नरेट ।
- ✓ महिला आरक्षी पूनम, थाना सरोजनीनगर, लखनऊ कमिश्नरेट
- ✓ सरोजनीनगर के गौरी क्षेत्र में भ्रमणशील होकर महिलाओ व बालिकाओं को किया गया जागरूक

प्रतिभाग-

- महिला मुख्य आरक्षी शारदा पाल , थाना सरोजनीनगर, लखनऊ कमिश्नरेट
- महिला आरक्षी पूनम, थाना सरोजनीनगर, लखनऊ कमिश्नरेट।
- सरोजनीनगर के गौरी क्षेत्र में भ्रमणशील होकर महिलाओ व बालिकाओं को किया गया जागरूक

कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरण-

लखनऊ पुलिस द्वारा महिला सुरक्षा एवं सशक्तिकरण के प्रति अपनी दृढ़ प्रतिबद्धता को और सुदृढ़ करते हुए, थाना क्षेत्र सरोजनीनगर के गौरी क्षेत्र में जागरूकता कार्यक्रम का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया। इस महत्वपूर्ण पहल की संचालनकर्ता थाना सरोजनीनगर टीम सक्रिय भूमिका निभाते हुए उपस्थित नागरिकों को आवश्यक जानकारियाँ प्रदान कीं।

कार्यक्रम में महिलाओं एवं बच्चों को महिला हेल्प डेस्क एवं मिशन शक्ति केंद्रों के उद्देश्यों, कार्यप्रणाली और उनसे प्राप्त होने वाली सेवाओं के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। साथ ही, महिलाओं के लिए चलाई जा रही विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं, साइबर अपराधों के बढ़ते खतरों, उनकी पहचान और बचाव के उपायों के बारे में भी विस्तार से समझाया गया। सभी उपस्थित लोगों को जागरूकता फ्लायर्स (पंपलेट) का वितरण भी किया गया।

कार्यक्रम के मुख्य उद्देश्य-

- ✓ महिला सुरक्षा से जुड़े कानूनों (जैसे यौन उत्पीड़न, दहेज, घरेलू हिंसा आदि) की जानकारी देना।
- ✓ महिला हेल्पलाइन नंबर (जैसे 1090, 112, 181 आदि) के बारे में बताना।
- ✓ आपातकालीन स्थिति में मदद लेने के तरीके सिखाना।
- ✓ महिला सशक्तिकरण से जुड़ी विभिन्न राज्य और केंद्र सरकार की योजनाओं की जानकारी देना।

निष्कर्ष:-

यह कार्यक्रम पुलिस और आम जनता, विशेषकर महिलाओं के बीच सीधा संवाद स्थापित करने और उन्हें सुरक्षित व सशक्त बनाने की दिशा में एक सराहनीय पहल सार्वजनिक स्थलों पर ऐसे आयोजनों से बड़ी संख्या में लोगों तक सीधे पहुँचना संभव हो पाता है।

मिशन शक्ति
नारी सुरक्षा
नारी सम्मान
नारी स्वावलंबन

उत्तर प्रदेश 112 आपात सेवाएं

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

मिशन शक्ति बुलेटिन-II

"मिशन शक्ति 5.0-शिक्षित नारी, सशक्त समाज,मिशन शक्ति का यही प्रयास"

थाना माल क्षेत्र के अंतर्गत सीएचसी माल थाना माल जनपद लखनऊ में "मिशन शक्ति 5.0" अभियान, महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा, कानूनी अधिकारों,सरकारी योजनाओं की जानकारी देकर सिखाए आत्मरक्षा के प्रभावी तरीके।

दिनांक- 27.04.2026

लखनऊ, दिनांक: 22 अक्टूबर, 2025 - पुलिस आयुक्त श्री अमरेन्द्र कुमार सेंगर के कुशल निर्देशन में कमिश्नरेट लखनऊ द्वारा महिला सुरक्षा एवं सशक्तिकरण हेतु चलाए जा रहे "मिशन शक्ति 5.0" अभियान के तहत थाना माल क्षेत्र में सोमवार को एक व्यापक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अभियान का उद्देश्य महिलाओं एवं बालिकाओं को उनके अधिकारों, सुरक्षा उपायों और सरकारी योजनाओं के प्रति जागरूक करना है।

श्रीमान पुलिस आयुक्त, लखनऊ, के कुशल निर्देशन में कमिश्नरेट लखनऊ में महिलाओं की सुरक्षा एवं सशक्तिकरण हेतु व्यापक जागरूकता गतिविधियाँ चलाई जा रही हैं। इस क्रम में, जनपद के 54 थानों पर **मिशन शक्ति केंद्र** स्थापित किए गए हैं, जहाँ महिला संबंधित समस्याओं के त्वरित निस्तारण हेतु समर्पित अधिकारियों (निरीक्षक, अतिरिक्त निरीक्षक, उपनिरीक्षक, महिला उपनिरीक्षक) की नियुक्ति की गई है।

आयोजन/आयोजन स्थल-

- ✓ म0उ0नि0 श्रीमती खुशबू यादव माल लखनऊ कमिश्नरेट।
- ✓ म0हे0का0 अनुराधा सिंह थाना माल लखनऊ कमिश्नरेट।
- ✓ थाना **माल क्षेत्र**, लखनऊ के अंतर्गत सीएचसी माल थाना माल जनपद लखनऊ में मिशन शक्ति अभियान फेज-5 के अंतर्गत जागरूकता कार्यक्रम संपन्न हुआ।

आयोजक टीम-

- महिला उ0नि0 श्रीमती खुशबू यादव थाना माल कमिश्नरेट लखनऊ।
- थाना माल के अन्य महिला कर्मचारी उपस्थित रहे।

कार्यक्रम का विस्तृत विवरण:-

थाना **माल क्षेत्र,** लखनऊ के अंतर्गत सीएचसी माल थाना माल जनपद लखनऊ में मिशन शक्ति जागरूकता कार्यक्रम के अंतर्गत महिलाओं एवं बालिकाओं को उनके **कानूनी अधिकारों, सुरक्षा उपायों, सरकारी योजनाओं** एवं **आत्मरक्षा के तरीकों** के बारे में विस्तारपूर्वक जानकारी दी गई।

कार्यक्रम में बताया गया कि यूपी पुलिस द्वारा महिलाओं की सुरक्षा के लिए विभिन्न सेवाओं को क्रियाशील किया गया है, जिनमें महिला हेल्पलाइन, स्मार्ट सिटी कैमरे, और फील्ड पुलिस पेट्रोलिंग जैसे उपाय शामिल हैं। मिशन शक्ति अभियान के तहत महिलाओं को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक किया जा रहा है।

उन्हें आत्मरक्षा और सरकारी योजनाओं के लाभ उठाने के तरीकों पर शिक्षित किया जा रहा है। कार्यक्रम का उद्देश्य समाज में महिलाओं के प्रति सम्मान, सुरक्षा और समानता को बढ़ावा देना

कार्यक्रम के दौरान टीम ने महिलाओं को बताया कि **उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा महिला सुरक्षा हेतु** कई प्रभावी सेवाएँ संचालित की जा रही हैं, जैसे:

- **1090 (महिला शक्ति हेल्पलाइन)**
- **181 (महिला हेल्पलाइन)**
- **112 (आपातकालीन सेवा)**
- **1098 (चाइल्डलाइन)**
- **1930 (साइबर क्राइम हेल्पलाइन)**
- **UP-COP मोबाइल ऐप** का उपयोग

इसके साथ ही **स्मार्ट सिटी कैमरे**, **फील्ड पेट्रोलिंग यूनिट**, एवं **एंटी रोमियो स्क्वॉड** के कार्यों के बारे में भी विस्तार से जानकारी दी गई।

महिलाओं को यह भी बताया गया कि किसी भी प्रकार के उत्पीड़न, हिंसा या साइबर अपराध की स्थिति में वे इन हेल्पलाइन सेवाओं के माध्यम से तुरंत सहायता प्राप्त कर सकती हैं।

मुख्य जागरूकता बिंदु:-

1. महिलाओं को **आत्मरक्षा और आत्मनिर्भरता** के लिए प्रेरित किया गया।
2. **"गुड टच" और "बैड टच"** के माध्यम से संवेदनशील विषयों पर जागरूकता बढ़ाई गई।
3. **साइबर अपराधों से सुरक्षा** हेतु सावधानी और रिपोर्टिंग की प्रक्रिया समझाई गई।
4. **बाल विवाह निषेध, महिला अधिकार एवं सरकारी योजनाओं** से संबंधित जानकारी दी गई।
5. उपस्थित महिलाओं और बालिकाओं में जागरूकता हेतु **पम्फलेट और जानकारी पत्रक वितरित किए गए।**

उद्देश्य एवं महत्व-

मिशन शक्ति 5.0 अभियान न केवल महिलाओं को उनकी शक्ति का अहसास करा रहा है, बल्कि एक सुरक्षित, सम्मानजनक और समान समाज के निर्माण की नींव रख रहा है।

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

मिशन शक्ति बुलेटिन-I

दिनांक- 27.04.2026

मिशन शक्ति 5.0-अलीगंज के पुरनियां क्षेत्र में भ्रमणशील होकर बच्चियों को मिशन शक्ति अभियान के सम्बन्ध में को सशक्त बनाने का अनूठा अभियान

थाना अलीगंज टीम द्वारा मिशन शक्ति फेज 5.0 अभियान के तहत आज दिनांक 27/04/2026 पुरनियां क्षेत्र थाना अलीगंज जनपद लखनऊ में बच्चियों को मिशन शक्ति अभियान के सम्बन्ध में किया गया जागरूक।

मिशन शक्ति 5.0 के तहत लखनऊ कमिश्नरेट में श्रीमान पुलिस आयुक्त श्री अमरेन्द्र कुमार सेंगर के निर्देशन में जनपद लखनऊ में 54 थानों पर मिशन शक्ति केन्द्र की स्थापना की जा चुकी है। जिसमें 01 निरीक्षक,01 अतिरिक्त निरीक्षक,01 उपनिरीक्षक, 01 महिला उपनिरीक्षक की नियुक्ति की जा चुकी है। थाने पर आने वाली महिलाओं की समस्त समस्याओं का त्वरित निस्तारण हेतु निर्देशित किया गया है।

अयोजक/आयोजन स्थल

- उपनिरीक्षक शिवानी मिश्रा, थाना अलीगंज, लखनऊ कमिश्नरेट।
- उपनिरीक्षक रवींद्र नाथ प्रजापति, थाना अलीगंज, लखनऊ कमिश्नरेट।
- थाना अलीगंज के पुरनियां क्षेत्र में भ्रमणशील होकर बच्चियों को किया गया जागरुक।

प्रतिभाग-

- महिला उपनिरीक्षक शिवानी मिश्रा, थाना अलीगंज, लखनऊ कमिश्नरेट।
- उपनिरीक्षक रवींद्र नाथ प्रजापति, थाना अलीगंज, लखनऊ कमिश्नरेट।
- थाना अलीगंज के पुरनियां क्षेत्र में भ्रमणशील होकर बच्चियों को किया गया जागरुक

कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरण-

थाना अलीगंज टीम द्वारा मिशन शक्ति फेज 5.0 अभियान के अंतर्गत दिनांक 27-04-2026 को अलीगंज के पुरनियां क्षेत्र में गीता वस्त्रालय के निकट बच्चियों को उनकी सुरक्षा और अधिकारों से संबंधित विस्तृत जानकारी प्रदान की गई। इस अवसर पर अधिकारियों ने उपस्थित लोगों को तत्काल सहायता के लिए बने विभिन्न महत्वपूर्ण हेल्पलाइन नंबरों - जैसे पुलिस हेल्पलाइन 112, महिला हेल्पलाइन 1090, वूमेन पावर लाइन 181, एवं साइबर की हेल्पलाइन 1930 से अवगत कराया।

आधुनिक दौर में बढ़ते खतरों को देखते हुए साइबर अपराधों से सुरक्षा पर विशेष जोर दिया गया और साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 के बारे में बताया गया। महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने वाली पहलों जैसे पिंक बूथ, पिंक स्कूटी, महिला सुरक्षा केंद्र, और महिला हेल्प डेस्क के बारे में भी समझाईश दी गई। इसके अलावा, यूपी कॉप एप के उपयोग और साइबर क्राइम से बचाव के उपायों से भी अवगत कराया गया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य महिलाओं और बालिकाओं को उनके प्रति सजग, आत्मनिर्भर और सशक्त बनाना था, साथ ही मिशन शक्ति के तहत चलाई जा रही विभिन्न सरकारी योजनाओं की जानकारी देकर उन्हें लाभान्वित होने के लिए प्रोत्साहित किया गया।

यह कार्यक्रम लखनऊ पुलिस की उस सतत प्रयासशीलता का एक हिस्सा है, जिसके तहत एक सुरक्षित और संवेदनशील समाज के निर्माण के लिए कार्य किया जा रहा है।

कार्यक्रम का उद्देश्य:

- महिलाओं एवं बच्चों में मिशन शक्ति व साइबर अपराधों के बारे में जागरूकता फैलाना।
- हेल्पलाइन नंबरो के बारे में विस्तार पूर्वक समझाना ।
- साइबर अपराधों के प्रति सजग करना।

मिशन शक्ति जागरूकता कार्यक्रम

मिशन शक्ति जागरूकता कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य महिलाओं एवं बच्चियों को उनके कानूनी अधिकारों, सुरक्षा उपायों और सहायता सेवाओं के प्रति संपूर्ण रूप से सजग और सशक्त बनाना था। इस कार्यक्रम के माध्यम से:

1. महिलाओं को उनके विरुद्ध होने वाले अपराधों की पहचान और रोकथाम के बारे में जानकारी दी गई।
2. महिला संबंधी सरकारी योजनाओं तथा हेल्पलाइन नंबरों (जैसे 1090, 181, 112, 1930 आदि) से अवगत कराया गया, ताकि आपात स्थिति में त्वरित सहायता प्राप्त की जा सके।
3. बच्चियों को बैड टच व गुड टच के प्रति सचेत किया गया और उन्हें व्यक्तिगत सुरक्षा के गुर सिखाए गए।
4. महिला हेल्प डेस्क व मिशन शक्ति केंद्रों की भूमिका से परिचित कराकर स्थानीय स्तर पर उपलब्ध संसाधनों का लाभ उठाने के लिए प्रेरित किया गया।
5. आत्मनिर्भरता एवं आत्मविश्वास का संदेश देकर महिलाओं और बालिकाओं को स्वावलंबी बनने की दिशा में प्रोत्साहित किया गया।

इस प्रकार, यह कार्यक्रम महिला सुरक्षा, कानूनी जागरूकता और सामाजिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देने हेतु एक सार्थक प्रयास साबित हुआ।

निष्कर्ष:

यह कार्यक्रम महिला सशक्तिकरण और सुरक्षा जागरूकता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हुआ। इसके माध्यम से न केवल महिलाओं और बच्चियों को उनके अधिकारों व सुरक्षा उपायों की जानकारी मिली, बल्कि उन्हें आत्मनिर्भर बनने की प्रेरणा भी मिली। समाज में सकारात्मक बदलाव लाने हेतु इस प्रकार के आयोजन भविष्य में भी जारी रखने की आवश्यकता है।

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-681

दिनांक-27.04.2026

जोन- दक्षिणी/ थाना-कृष्णानगर

- थाना कृष्णानगर पुलिस टीम की सफलता।
- 02 वाहन चोर अभियुक्त गिरफ्तार ।
- कब्जे से चोरी 05 अदद वाहन बरामद (02 अदद ई-रिक्शा, 03 अदद मोटर साइकिल) बरामद ।

01-संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 13.04.2026 को वादी मुकदमा नटवर लाल गौर निवासी- 569च/502 प्रेमनगर आलमबाग थाना कृष्णानगर लखनऊ की तहरीरी सूचना पर-

1.मु0अ0सं0-165/2026धारा-303(2) भारतीय न्या0 संहिता बनाम अज्ञात थाना कृष्णानगर जनपद लखनऊ,बावत दो अज्ञात व्यक्तियों द्वारा दिनांक 12.04.2026 की देर रात्रि वादी मुकदमा के घर के बाहर खड़े ई-रिक्शा नं0-UP32RT0873 को चोरी कर ले जाने के सम्बन्ध में ।

तथा इसी क्रम में वादी श्री सूरज वर्मा उम्र लगभग 22 वर्ष पुत्र मंगल सिंह निवासी पिलखनी पुखरायाँ कानपुर देहात वर्तमान पता (किराये का मकान)-आशुतोष नगर शिवम पार्क थाना कृष्णानगर लखनऊ की तहरीरी सूचना पर-

2.मु0अ0सं0-183/2026 धारा-303(2) भारतीय न्या0 संहिता बनाम अज्ञात थाना कृष्णानगर जनपद लखनऊ, बावत अज्ञात चोर द्वारा दिनांक 13.04.2026 की देर रात्रि घर के बाहर खड़ी एक अदद मोटर साइकिल सीटी-100 नं0-UP 92 S 2780 को चोरी कर ले जाने के सम्बन्ध में पंजीकृत है।

उपरोक्त घटनाओं के सफल अनावरण एवं अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु श्रीमान पुलिस उपायुक्त, दक्षिणी महोदय के निर्देशन में 04 पुलिस टीमें गठित की गयीं । जिनके द्वारा लगभग 400-500 सीसीटीवी फुटेज एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों का गहन विश्लेषण किया गया। जांच के दौरान प्रकाश में आये अभियुक्तों की पहचान सुनिश्चित की गई। तथा आज दिनांक 27.04.2026 को मुखबिर खास की सूचना पर आशाराम बापू मार्ग से 02 शातिर अभियुक्त की गिरफ्तारी कर कब्जे से 02 अदद वाहन चोरी के बरामद किये गये तथा अभियुक्तगण की निशादेही पर अभियुक्त नितेश के किराये के आवास काशीराम कालोनी हंसखेड़ा थाना पारा से 03 अदद अन्य चोरी के वाहन की बरादमगी कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

02-पूछताछ विवरण एंव माड्यूस आपरेंडी-

गिरफ्तारशुदा अभियुक्तगण चोरी करने के अभ्यस्त अपराधी हैं, अभियुक्त शैलेन्द्र के विरुद्ध द्वारा जनपद लखनऊ के विभिन्न थानों में चोरी के कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। अभियुक्तगण ने पूछताछ में दो ई-रिक्शा व तीन मोटरसाइकिलें चोरी करना स्वीकार किया, जिन्हें नितेश के किराये के कमरे के पास खड़ा बताया। पुलिस टीम द्वारा मौके पर पहुंचकर चारों वाहन बरामद किए गए। ई-चालानी ऐप से जांच में सभी वाहन अलग-अलग व्यक्तियों के नाम पंजीकृत पाए गए। अभियुक्तों ने बताया कि उक्त वाहन उन्होंने कृष्णानगर, मोहन रोड, हरदोई रोड व लालाबाग पुल से अलग-अलग समय पर चोरी किए थे।

03-गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण-

1. शैलेन्द्र पुत्र स्व0 भगवानदास उर्फ भगवानदीन निवासी किराये का मकान -म0नं0 82/2 आसरा कालोनी हंसखेडा थाना पारा जनपद लखनऊ व स्थायी पता देवीगंज रामादेवी थाना चकेरी जनपद कानपुर उम्र लगभग 20 वर्ष।
2. नितेश कुमार शाह पुत्र प्रेमनाथ शाह निवासी कर्ताराम वर्मा के किराये का मकान कन्हैया माधवपुर-द्वितीय बेगरिया थाना दुबग्गा उम्र करीब 19 वर्ष।

04-आपराधिक इतिहास-

- *अभियुक्त शैलेन्द्र के विरुद्ध कुल-10 अभियोग पंजीकृत हैं-*

1. मु0अ0सं0-0328/25 धारा 303(2) बीएनएस थाना पारा जनपद लखनऊ
2. मु0अ0सं0-0342/25 धारा 303(2) बीएनएस थाना पारा जनपद लखनऊ।
3. मु0अ0सं0-0360/25 धारा 303(2) बीएनएस थाना पारा जनपद लखनऊ।
4. मु0अ0सं0-0460/25 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस थाना पारा जनपद लखनऊ।
5. मु0अ0सं0-0558/25 धारा 303(2)/317(2) बीएनएसथाना पारा जनपद लखनऊ।
6. मु0अ0सं0-0559/25 धारा 303(2)/317(2)/317(4)/317(5) बीएनएस, थाना पारा जनपद लखनऊ।
7. मु0अ0सं0-08/24 धारा 379/411भादवि थाना नाका हिन्डोला जनपद लखनऊ।
8. मु0अ0सं0-032/26 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस थाना कृष्णानगर जनपद लखनऊ।
9. मु0अ0सं0-165/2026 धारा 303(2) बीएनएस थाना कृष्णानगर लखनऊ, कमिश्नरेट लखनऊ।
10. मु0अ0सं0-183/2026 धारा 303(2) बीएनएस थाना कृष्णानगर लखनऊ, कमिश्नरेट लखनऊ।

- *अभियुक्त नितेश कुमार शाह के विरुद्ध पंजीकृत अभियोग –*

1. मु0अ0सं0-165/2026 धारा 303(2) बीएनएस थाना कृष्णानगर लखनऊ, कमिश्नरेट लखनऊ।
2. मु0अ0सं0-183/2026 धारा 303(2) बीएनएस थाना कृष्णानगर लखनऊ, कमिश्नरेट लखनऊ।

05-अनावरित अभियोग का विवरण-

1. मु0अ0सं0-165/2026 धारा 303(2) बीएनएस थाना कृष्णानगर लखनऊ, कमिश्नरेट लखनऊ।
2. मु0अ0सं0-183/2026 धारा 303(2) बीएनएस थाना कृष्णानगर लखनऊ, कमिश्नरेट लखनऊ।

06-बरामदगी विवरण -

1. एक अदद ई-रिक्शा (मु0अ0सं0-165/2026 धारा 303(2) BNS)
2. एक अदद अन्य चोरी का ई-रिक्शाबरामद।
3. एक अदद सीटी-100 मोटर साइकिलUP92S2780 (मु0अ0सं0-183/2026 धारा 303(2) BNS) बरामद।
4. दो अदद अन्य चोरी की मोटर साइकिल (स्पेलण्डर-सीटी-100) नं0-UP30AY7586 व एक बिना नम्बर प्लेट चेचिस नं0-DUFBMH57388बरामद।

07-गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- कोतवाली कृष्णानगर पुलिस टीम, कमिश्नरेट लखनऊ।

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-682
दिनांक-27.04.2026

जोन-उत्तरी/थाना-अलीगंज

- **थाना अलीगंज पुलिस टीम द्वारा 01 शातिर चोर/अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।**
- **जिसके कब्जे से चोरी का माल तथा घटना मे प्रयुक्त ऑटो संख्या यू0पी0 32 वाई एन 0740 वाहन बरामद।**

01-संक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 20.04.2026 को वादी आमिर हुसैन रिजवी नि0 बी-10/18 एलनसॉली शोरूम सेक्टर के थाना अलीगंज लखनऊ द्वारा लिखित तहरीर दी गयी कि मेरे शोरुम का शटर तोड़कर कपड़े, पर्स लेडीज , जेन्ट्स शू आदि व नकद 9500/- रुपये चोरी कर लिया गया है, जिसके आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 064/2026 धारा 305(ए)/324(4) बीएनएस बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया।

प्रभारी निरीक्षक अलीगंज द्वारा उक्त घटना को संज्ञान मे लेकर घटना के अनावरण हेतु टीम गठित की गयी, गठित पुलिस टीम संदिग्ध व्यक्ति वाहन चेकिंग मे मामूर थी कि मुखविर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि शोरुम से चोरी करने वाला एक व्यक्ति केन्द्रीय विद्यालय की बाउण्ड्री के किनारे गोयल चौराहे के पास ऑटो लिए कही जाने की फिराक मे खड़ा है।

इस सूचना पर पुलिस टीम द्वारा मुखबिर खास को साथ लेकर उसके बताए हुए स्थान गोयल चौराहे के पास पहुँचे तो ऑटो मे बैठा व्यक्ति संदिग्ध प्रतीत हो रहा है जिसे हम पुलिस टीम ने एक बारगी दबिश देकर घेर-घार पकड़ लिया गया।

पकड़े गए व्यक्ति से उसका नाम पता पूछते हुए भागने का कारण पूछा तो अपना नाम सलमान पुत्र अली अहमद उर्फ इल्लन नि0 म0नं0 2/8 डूडा कालोनी थाना पीजीआई जनपद लखनऊ मूल पता 10 रईश नगर तहसीनगंज थाना ठाकुरगंज जनपद लखनत्रऊ उम्र 28 वर्ष बताया जिसके कब्जे से चोरी गये सामान बरामद किया गया।

अभियुक्त की निशादेही पर बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर अभियोग उपरोक्त मे धारा 331(4)/317(2) बीएनएस की बढोत्तरी की गयी तथा अभि0 सलमान उपरोक्त को उसके द्वारा किये गये जुर्म धारा 305ए/324(4)/331(4)/317(2) बीएनएस का बोध कराते हुए दिनांक-26.04.2026 को समय करीब प्रातः 23.00 बजे नियमानुसार गिरफ्तार किया गया।

अभि0 उपरोक्त के आपराधिक इतिहास के सम्बन्ध में अन्य थाना/इकाई/जनपदों से जानकारी करते हुए अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

02-अपराध का उद्देश्य:-

अभियुक्त सलमान उपरोक्त द्वारा शटर तोड़कर चोरी करना।

03-गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

1.सलमान पुत्र अली अहमद उर्फ इल्लन नि0 म0नं0 2/8 डूडा कालोनी थाना पीजीआई जनपद लखनऊ उम्र 28 वर्ष (ऑटो ड्राइवर)

04-आपराधिक इतिहासः-

1. मु0अ0सं0 087/2019 धारा 380/411/457 भादवि थाना गोमतीनगर जनपद लखनऊ
2. मु0अ0सं0 192/2019 धारा 380/411/457 भादवि थाना गोमतीनगर जनपद लखनऊ
3. मु0अ0सं0 227/19 धारा 379/411 भादवि थाना गोमतीनगर जनपद लखनऊ
4. मु0अ0सं0 239/2019 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना गोमतीनगर जनपद लखनऊ
5. मु0अ0सं0 240/2019 धारा 413/414/420 भादवि थाना गोमतीनगर जनपद लखनऊ
6. मु0अ0सं0 308/2020 धारा 2/3 यू0पी0 गैंगस्टर एक्ट थाना गोमतीनगर जनपद लखनऊ
7. मु0अ0सं0 064/2026 धारा 305ए/324(4)/331(4)/317(2) बीएनएस थाना अलीगंज लखनऊ

05-बरामदगीः-

- 04 अदद हैण्ड बैग
- 04 अदद लोवर
- 11 अदद टी-शर्ट
- 03 अदद जीन्स पैंट
- 02 अदद बैल्ट
- 04 अदद सैण्डल
- 01 अदद ब्लैजर
- 01 जोड़ी जूते तथा कुल 30 वस्तुऐं एलनसॉली कम्पनी की
- घटना मे प्रयुक्त ऑटो संख्या यू0पी0 32 वाई एन 0740 वाहन बरामद

06-गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम थाना अलीगंज

1. उ0नि0 श्री शुभम तिवारी थाना अलीगंज जनपद लखनऊ
2. उ0नि0 श्री नितेन्द्र कुमार कुर्मी थाना अलीगंज जनपद लखनऊ
3. का0 रजत यादव थाना अलीगंज जनपद लखनऊ
4. का0 अमन कुमार शुक्ला थाना अलीगंज जनपद लखनऊ
5. का0 कौशलेन्द्र यादव थाना अलीगंज जनपद लखनऊ

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-683

दिनांक-27.04.2026

जोन-पूर्वी/थाना-गोमतीनगर

- **थाना गोमतीनगर पुलिस द्वारा नाबालिग को बहला फुसलाकर भगा ले जाने वाले 01 शातिर अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।**

01-सक्षिप्त विवरण-

थाना स्थानीय पर दिनांक 21.04.2026 को आवेदक के द्वारा प्रा0 पत्र बावत प्रतिवादी द्वारा वादी की नाबालिक बहन को बहला फुसलाकर ले जाने के सम्बन्ध में दिया गया। प्राप्त प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना स्थानीय पर तत्काल मु0अ0सं0 153/2026 धारा 137(2)/87 थाना गोमतीनगर लखनऊ पंजीकृत होकर विवेचना उ0नि0 प्रेम कुमार द्वारा सम्पादित की जा रही है, दौराने विवेचना बयान वादी व निरीक्षण घटनास्थल बयान पीडिता के आधार पर मुकदमा उपरोक्त मे धारा 74 बीएनएस तथा 7/8 पाक्सो एक्ट थाना गोमतीनगर की वृद्धि की गयी है।

02- कार्यवाही का विवरण-

दिनांक 27.04.2026 को उ0नि0 श्री प्रेम कुमार मय हमराह सुनील कुमार के मु0अ0सं0 0153/2026 थाना गोमतीनगर कमिश्नरेट लखनऊ से संबंधित अभियुक्त की तलाश पतारसी सुरागरसी हेतु क्षेत्र मे मामूर थे कि मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त अयान सिद्दिकी पुत्र हलीम सिद्दिकी निवासी 4/91 विरामखण्ड 04 थाना गोमतीनगर जनपद लखनऊ हाल पता किराये का मकान सुमित शाहू ग्वारी गाव विकासखण्ड 04 थाना गोमतीनगर लखनऊ उम्र 21 वर्ष को दिनांक 27.04.2026 को समय करीब 05.20 बजे अभियुक्त के किराये का मकान सुमित शाहू ग्वारी गाव विकासखण्ड 04 थाना गोमतीनगर लखनऊ से नियमानुसार गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अंतर्गत धारा मु0अ0सं0 153/2026 धारा 137(2)/87/74 बीएनएस तथा 7/8 पाक्सो एक्ट में नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

03- गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1. अयान सिद्दिकी पुत्र हलीम सिद्दिकी निवासी 4/91 विरामखण्ड 04 थाना गोमतीनगर जनपद लखनऊ हाल पता किराये का मकान सुमित शाहू ग्वारी गाव विकासखण्ड 04 थाना गोमतीनगर लखनऊ उम्र 21 वर्ष

04-पंजीकृत/अनावरित अभियोग का विवरण-

1. मु0अ0सं0 153/2026 धारा 137(2)/87 /74 बीएनएस तथा 7/8 पाक्सो एक्ट

नोट- अभियुक्त के आपराधिक इतिहास के बारे में अन्य थाना/इकाई/जनपदों से जानकारी की जा रही है।

04- गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

1- उ0नि0 श्री प्रेम कुमार थाना गोमतीनगर लखनऊ

2. का0 सनील कुमार थाना गोमतीनगर लखनऊ